दां.प्रकी.(जमा.) 4148/2004

09.12.2004

माननीय न यायाधिपति श्री कृष णकुमार

प्रार्थी के अधिवक ता श्री देवीलाल आर.व्यास,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय एवं
मुस्तगीस के अधिवक्ता श्री महिपाल बिश्नोई, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य नहीं है, अन्तिम रूप से साथ देखे जाने की भी साक्ष्य नहीं है न बरामदगी की साक्ष्य ही विश्वसनीय है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि गवाह चेनाराम व मदन ने दिन में 12-1 बजे अभियुक्त को मृतका पूर्णा को उठाकर ले जाते हुए देखा। लूंग की जोड़ी की बरामदगी भी कराई गई व अभियुक्त द्वारा मौका तस्दीक भी की गई है। इस प्रकार बालिका की हत्या का गम्भीर प्रकरण है, अत: जमानत नहीं ली जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुणावगुण पर राय दिए, यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

फलस्वरूप, यह जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

(न यायाधिपतिकृष णकुमार)

जी.एन.शर्मा